निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

विद्याधर नगर सेक्टर–4
फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2612592, ई–मेल : store.hghq.rj@rajasthan.gov.in
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक : निगृर/भण्डार/18/खाली कारतूस/2022–23/–00083/8124498 दिनांक : 24.06.2024

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गृह रक्षा विभाग में प्रयोगशुदा कारतूसों के खाली खोखों से प्राप्त निम्नांकित धातुओं की सिल्लीयों की खुली नीलामी दिनांक 22.07.2024 को दोपहर 12.00 बजे आलू फैक्ट्री, एम. आई. रोड़, केन्द्रीय शस्त्र भण्डार गृह रक्षा, जयपुर में नियमानुसार गठित समिति द्वारा की जायेगी।

क्र.स.	धातु का नाम	अनुमानित मात्रा	बोली अमानत राशि (रूपये में)
1	पीतल	7474.01 कि.ग्रा.	50,000
2	तांबा	67.520 कि.ग्रा.	1,000
3	एल्यूमिनियम	53.140 कि.ग्रा.	500
4	सीसा	356.240 कि.ग्रा.	1000
5	खाली बॉक्स लोहा	लगभग 7734.00 कि.ग्रा.	4000
6	केरियर लोहा फ्रेम	लगभग 2331 कि.ग्रा.	
7	ड्रम लोहा (20 लीटर)	लगभग 12.5 कि.ग्रा.	
8	एम.टी. केश .45 बॉल टी.एम.सी. (लोहा)	लगभग 50.00 कि.ग्रा.	

नोट :– नीलामी की विस्तृत शर्तें किसी भी कार्य दिवस को निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा विभागीय वेबसाइट http://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती हैं।

UBN NO:- HGR2425WSLB00001

(डॉ. विष्णु कान्त)
महानिरीक्षक पुलिस,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Vishnu Kant
Designation: Inspector General Of Police
Date: 2024.06.24 17:20:01 IST
Reason: Approved

निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

विद्याधर नगर सेक्टर–4
फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2612592, ई–मेल : store.hghq.rj@rajasthan.gov.in
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक : निगृर / भण्डार / 18 / खाली कारतूस / 2022–23 / –00083 / 8124498 दिनांक : 24.06.2024

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गृह रक्षा विभाग में प्रयोग शुदा कारतूसों के खाली खोखो से प्राप्त निम्नांकित धातुओं की सिल्लीयों की खुली नीलामी दिनांक 22.07.2024 को दोपहर 12.00 बजे आलू फैक्ट्री, एम. आई. रोड़, केन्द्रीय शस्त्र भण्डार गृह रक्षा मुख्यालय, जयपुर में नियमानुसार गठित समिति द्वारा की जायेगी।

अतः इच्छुक बोलीदाता जो बोली लगाना चाहें वे निश्चित समय एवं दिनांक को स्वयं के खर्चे से उपस्थित होकर बोली लगा सकते है। विस्तृत शर्तों एवं अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट, राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल तथा कार्यालय समय में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

नियम एवं शर्ते

1. कारतूसों के खाली खोखों से प्राप्त उपरोक्त धातु की मात्रा बढाई भी जा सकती है।
2. सफल बोली लगाने वाले के अलावा अन्य बोली लगाने वालों की धरोहर राशि / बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) नीलामी की कार्यवाही के पश्चात लौटा दी जायेगी। सफल बोली लगाने वाले को नीलामी समाप्ति पर पीतल हेतु नीलामी की कुल राशि का 25 प्रतिशत तथा एल्यूमिनियम एव अन्य सामग्री हेतु पूर्ण देय राशि तत्काल मांग पर जमा करानी होगी, इस राशि में धरोहर राशि / बयाना राशि को समायोजित कर दिया जावेगा।
3. पीतल हेतु सफल बोली लगाने वाले को नीलामी की तिथि से एक माह की समयावधि में केन्द्रीय शस्त्र भण्डार, जयपुर में धातु का मूल्य जमा करवाकर धातु प्राप्त करना आवश्यक होगा। सफल बोली लगाने वाले द्वारा निर्धारित समय में जमा करवाई जाने वाली धनराशि के अनुसार ही उसे धातु केन्द्रीय शस्त्र भण्डार, जयपुर में जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में उपलब्ध करवायी जावेगी तथा धरोहर राशि / बयाना राशि का समायोजन अंतिम किस्त में किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Vishnu Kant
Designation : Inspector General Of Police
Date: 2024.06.24 17:20:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
8124498

4. निर्धारित अवधि में नीलामी द्वारा निर्धारित धनराशि सफल बोली लगाने वाले द्वारा जमा नहीं करवाने की स्थिति में जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा तथा फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी। विलम्ब से सामान उठाये जाने पर रूपये 500/– प्रतिदिन वेयर हाउस चार्जेज अलग से वसूल किये जायेंगें।
5. इस प्रकरण से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय करने का अधिकार पूर्णतः अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
6. धरोहर राशि/बयाना राशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ली जावेगी। बैंक ड्राफ्ट **"उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा निदेशालय, जयपुर"** के नाम से देय होगा।
7. नीलामी राशि पर नियमानुसार देय जीएसटी एवं आयकर पर टीसीएस राशि जमा कराये जाने का दायित्व भी सफल बोलीदाता का ही होगा।
8. अन्तिम बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा किसी भी अन्य कारण से नीलामी स्थगित/रदद् करने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
9. नीलामी की कार्यवाही निर्धारित समिति द्वारा की जावेगी। किसी कारणवश समिति के सदस्य उपस्थित न होने पर नीलामी स्थगित की जा सकती है।
10. बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
11. बोली लगाने से पूर्व नीलामी समिति द्वारा निर्धारित शर्तें सभी बोलीदाताओं को माननी होगी।
12. जी.एस.टी. रजिस्टर्ड फर्म ही बोली लगाने के लिए मान्य होगी तथा साक्ष्य के रूप में फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(डॉ. विष्णु कान्त)
महानिरीक्षक पुलिस,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, महानिरीक्षक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, उप महासमादेष्टा (कार्यालयाध्यक्ष), गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. कार्यवाहक लेखाधिकारी, गृह रक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत–जी, जयपुर।
6. रोकड़पाल, कार्यालय हाजा, मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
7. नोटिस बोर्ड निदेशालय/केन्द्रीय शस्त्र भण्डार, गृह रक्षा, मुख्यालय, जयपुर।
8. श्री मदन मोहन जोशी, वरिष्ठ सहायक मुख्यालय, जयपुर को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
9. प्रभारी केन्द्रीय भण्डार/शस्त्र भण्डार गृह रक्षा, मुख्यालय, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Vishnu Kant
Designation : Inspector General Of Police
Date: 2024.06.24 17:20:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
8124498